

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/40
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00039
CICOM/R/2017/01468

दिनांक: 07.02.2018

अपीलकर्ता : श्री अमितेश श्रीवास्तव,
म.नं.8/10/150, हनुमननगर,
नाका, फैजाबाद,
उत्तर प्रदेश - 224001.

निर्णय की तारीख: 07.02.2018

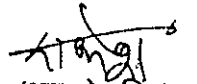
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	07.12.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	20.12.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	13.01.2018

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 07.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से रेलवे से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान की गई सूचना जिसमें अपीलकर्ता को बताया गया है कि "आपके द्वारा मांगी गई सूचना का धारक केन्द्रीय सूचना आयोग नहीं है, कृपया सूचना से संबंधित कार्यालय में आवेदन दाखिल कर सूचना प्राप्त करें"। श्री ए. के. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग द्वितीय अपीलीय अधिकरण है एवं अपील प्रक्रिया का विस्तृत विवरण भी दिया गया है। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना में प्रथम अपीलीय अधिकारी का विवरण भी अपेक्षित होता है, जिसके अनुपालन में श्री ए. के. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना में अधोहस्ताक्षरी विवरण भी दिया गया है, जिसे अपीलकर्ता शायद भूलवश यह समझ बैठे कि बिंदुवार सूचना हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आवेदन करना है, जैसा कि प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने श्री ए. के. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना का ठीक से अवलोकन नहीं किया है। अपीलकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि श्री ए. के. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना का ठीक से अवलोकन कर सूचना प्राप्ति हेतु बताई गई प्रक्रिया का अनुपालन करें।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।


(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

